प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत　　　　　　दिनाँक 30.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 721/24 धारा 105 बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2024 को थाना बडौत पर आवेदक गौतम पुत्र नरेन्द्र उर्फ पालू सिंह निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त विनित पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के पिता नरेन्द्र उर्फ पालू के सिर में डण्डा मार दिया जिससे वादी के पिता नरेन्द्र उर्फ पालू की मृत्यु हो गई है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 721/24 धारा 105 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 721/24 धारा 105 बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.विनित पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण –

- घटना में प्रयुक्त एक डण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमारथाना बडौत जनपद बागपत।

2-का0 550 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3- का0 1059 पियूष यादव थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 30.10.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 912/2024 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक स्टील डोलची, एक मिक्सी, एक स्टार्टर व 1708 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.10.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अंकित कुमार पुत्र मुकेश निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा आवेदक की दुकान चिकन शॉप से एक मिक्सी, एक स्टील का डब्बा, स्टार्टर व रूपये चोरी कर लिये है इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 912/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 912/2024 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गाय है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक स्टील डोलची, एक मिक्सी, एक स्टार्टर व 1708 रुपये नगद बरामद हुए है।
उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- 1708 रूपये नगद।
- एक स्टील डोलची।
- एक मिक्सी।
- एक स्टार्टर।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन पुत्र सोहनवीर निवासी माता कालौनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-का0 333 नितेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बालैनी   दिनाँक 30.10.2024

थाना बालैनी पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम के कुल 24 अभियोग में बरामद 115 लीटर अवैध शराब को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में-

कार्यवाही-

दिनांक 30.10.2024 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना बालैनी पर वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक के आबकारी अधिनियम के कुल 24 अभियोगों में बरामद 115 लीटर अवैध शराब को क्षेत्राधिकारी खेकड़ा, नायब तहसीलदार बागपत व प्रभारी निरीक्षक थाना बालैनी की उपस्थिति में नष्ट किया गया।